

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)
Friday, 23 May, 2014/ 10 Jyestha, 1936 (Saka)

No. 14

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS.

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, received from Addl. Commissioner of Police, West District, New Delhi:

Hon'ble Member of Legislative Assembly Delhi; namely Sh. Manish Sisodiya was detained u/r Section 188 of Delhi Police at Hari Nagar Police Station, Delhi in the case registered under FIR No. 529 on 21st May, 2014, and

Ms. Rakhi Birla detained u/r Section 65 of DP Act, 1978 at Hari Nagar Police Station, Delhi on 21st May, 2014 to maintain law and order and public peace in the area of West Delhi District and she was released on the same day.

Lal Mani
Deputy Secretary

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी
शुक्रवार, 23 मई, 2014 / ज्येष्ठ 10, 1936 (शक)

संख्या- 14

विषय:-

सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित अतिरिक्त आयुक्त, पश्चिमी जिला, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा- 188 के तहत दिनांक 21 मई, 2014 को हरी नगर थाने में दर्ज सूचना प्राथमिकी नं: 529 के अंतर्गत दर्ज मुकद्दमें में गिरफ्तार किया गया; और

सुश्री राखी बिरला, माननीय सदस्य, दिल्ली विधान सभा को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा-65 के अंतर्गत दिनांक 21 मई, 2014 को गिरफ्तार किया गया एवं रिहा किया गया।

लाल मणी
उपसचिव